कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 3411 / Admin.(B-II) Section dated 30.10.2023 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के विभागीय निष्प्रयोज्य वाहन (एम्बेसडर कार) संख्या UP81-D8700, UP81-D8701, UP81-D8702 एवं UP81-K2500 की नीलामी की कार्यवाही (वर्तमान में जहाँ और जैसी स्थिति में है के आधार पर) शासनादेश संख्या 1914/30-4-2002-38/90 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकित 05 अगस्त 2002 में दी गयी शर्तों के अधीन सार्वजनिक रूप से **दिनांक 02.12.2023 को सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :-

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है । अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जायेगी ।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अंकन 10,000 /- रूपये नकद जमा करने होगें। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी ।
3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिए तब तक अनुज्ञात नही किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लियें उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न् प्राप्त किया हो । अधिकृत प्रतिनिधि ही उक्त धनराशि जमा करेगा ।
4. नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से एक दिवस पूर्व तक अर्थात दिनांक 29.11.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक न्यायालय परिसर में देखा जा सकेगा ।
5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली से पूर्व उक्त वाहन का विधिवत निरीक्षण कर ले ।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नही की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
7. माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अंतिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा ।
8. वाहन की अन्तिम बोली माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक जो भी बाद में हो, होने तक वाहन हस्तगत नही किया जायेगा ।
9. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा ।
10. वाहन जहाँ है जैसा है कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत किया जायेगा ।

11. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नही दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान तथा आर०टी०ओ० आफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स जमा कर के वाहन अपने नाम हस्तांतरित न करा लिया हो ।
12. बोलीकर्ता को नियमानुसार वाहन पर लागू जी०एस०टी० को अविलम्ब जमा करना होगा ।
13. यदि नीलामी की शर्तों के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।
14. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद अलीगढ़ में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी ।

S. Singh

(प्रवेश कुमार)
सदस्य, नीलामी समिति /
सहायक संभागीय परिवहन
अधिकारी अलीगढ़ ।

(सिद्धार्थ सिंह)
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला जज (गैंगस्टर एक्ट)
कोर्ट सं०-04, अलीगढ़ ।

(अमित कुमार भट्ट)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिलाधिकारी (नगर)
अलीगढ़ ।